न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 200/2024

अनवान : –

1. भालाराम पुत्र भीखाराम जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. किरणदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी अनिलकुमार सैनी जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर हाल निवास गांव बहल तहसील लोहारू जिला भिवानी।
3. सरीता पुत्री भीखाराम पत्नी गजानन्द सैनी जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 02/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 394/377 की कुल 17.1610 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी संख्या 1 का रामचन्द्र दर्ज है जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम भालाराम है तथा वादी संख्या 2 का नाम कृष्णा दर्ज है जबकि वादीया स0 2 का सही व वास्तविक नाम किरणदेवी है तथा वादी संख्या 3 का नाम कमला दर्ज है जबकि वादी स0 3 का सही व वास्तविक नाम सरिता है। वादीगण के सही व वास्तविक नाम क्रमश भालाराम, किरणदेवी व सरिता है जो की वादीगण के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में अंकित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम क्रमशः रामचन्द्र, कृष्णा व कमला के स्थान पर सही व वास्तविक नाम क्रमश भालाराम, किरणदेवी व सरिता दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वा[illegible] रिपोर्ट [illegible] पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम जरिये विरासतन नामान्[illegible] दर्ज हो[illegible] रा[illegible] रिकार्ड में वादीगण के नाम क्रमशः रामचन्द्र, कृष्णा व कमला है जब[illegible] [illegible] के [illegible]त दस्तावेजो में [illegible] क्रमश भालाराम, किरणदेवी व सरिता दर्ज है। वादीगण के नाम के [illegible]ंध में इमरती पुत्री [illegible] व अमरसिंह पुत्र प्रयागचन्द ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:08:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 394/377 की कुल 17.1610 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादी संख्या 1 का नाम रामचन्द्र दर्ज है तथा वादी संख्या 2 का नाम कृष्णा तथा वादी संख्या 3 का नाम कमला दर्ज है जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी संख्या 1 का नाम भालाराम है जबकि वादीया स0 2 का नाम किरण देवी तथा वादी स0 3 का नाम सरिता दर्ज है। प वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 394/377 की कुल 17.1610 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज है, में **वादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम क्रमशः रामचन्द्र, कृष्णा व कमला के स्थान पर क्रमशः रामचन्द्र उर्फ भालाराम, कृष्णा उर्फ किरणदेवी व कमला उर्फ सरीता के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण के नाम क्रमशः रामचन्द्र, कृष्णा व कमला के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रामचन्द्र, कृष्णा व कमला के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम क्रमशः रामचन्द्र, कृष्णा व कमला ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:08:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 200/2024
अनवान : –

1. भालाराम पुत्र भीखाराम जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. किरणदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी अनिलकुमार सैनी जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर हाल निवास गांव बहल तहसील लोहारू जिला भिवानी।
3. सरीता पुत्री भीखाराम पत्नी गजानन्द सैनी जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 200 सन 2024 निर्णय दिनांक - 02/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 394/377 की कुल 17.1610 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज है, में **वादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम कमशः रामचन्द्र, कृष्णा व कमला के स्थान पर कमशः रामचन्द्र उर्फ भालाराम, कृष्णा उर्फ किरणदेवी व कमला उर्फ सरीता के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण के नाम कमशः रामचन्द्र, कृष्णा व कमला के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रामचन्द्र, कृष्णा व कमला के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम कमशः रामचन्द्र, कृष्णा व कमला ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:08:59 IST
Reason: SelfAttested